रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 1983/ज्येष्ठ 19, 1905
No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 1983/JYAISTHA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्यमंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली 9 जून, 1983

का०आ० 411(अ):—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री रामचन्द्र श्रीमल प्रधान संपादक, "ब्रिगेडियर" उज्जैन द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई तारीख 5 मार्च, 1982 की अर्जी के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न उठा है कि क्या मध्य प्रदेश राज्य से लोक सभा के आसीन सदस्य श्री राम गोपाल तिवारी इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) और (ङ) के अधीन निरर्हित हो गये है कि वह मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के निदेशक के रूप मे अपनी नियुक्ति के कारण मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे है।

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन उक्त प्रश्न के प्रति निर्देश करते हुए निर्वाचन आयोग की राय मांगी है।

निर्वाचन आयोग ने अपनी राय दी है (उपावन्ध देखिए) कि उक्त श्री राम गोपाल तिवारी, मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) या (ङ) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिये निरर्हित नहीं हुए हैं।

अतः मैं, जैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चय करता हूं कि उक्त श्री राम गोपाल तिवारी, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) या (ङ) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिय निरर्हित नही हुए हैं।

राष्ट्रपति भवन, जैल सिंह
नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रपति
तारीख मई, 1983

उपाबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष
1982 का निर्देश मामला सं० 4

(भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्देश)

लोक सभा के एक आसीन सदस्य श्री राम गोपाल तिवारी की अभिकथित निरर्हता के मामले में

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त एक निर्देश है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या मध्य प्रदेश से लोक सभा के आसीन सदस्य श्री राम गोपाल तिवारी दिसम्बर 1980 में मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड भोपाल के निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) और (ङ) के अधीन निरर्हित हो गये हैं।

2. यह प्रश्न श्री राम चन्द्र श्रीमल, प्रधान संपादक, "ब्रिगेडियर", उर्जैन ने राष्ट्रपति को संबोधित अपनी तारीख 5 मार्च, 1982 की अर्जी द्वारा उठाया है।

3. संक्षेप में तथ्य निम्नलिखित हैं:—

श्री राम गोपाल तिवारी जनवरी 1980 में हुए साधारण निर्वाचन में मध्य प्रदेश राज्य के जंजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए थे। उन्हें रजिस्ट्रार कोपाअरेटिव सोसाइटीज, मध्य प्रदेश के तारीख 30 दिसम्बर, 1980 के आदेश द्वारा स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का (जिसे इसमें इसके पश्चात् "फेडरेशन" कहा गया है) निदेशक नियुक्त किया गया था। रजिस्ट्रार ने यह नियुक्ति मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960(1961 का सं० 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है की धारा 49 की उपधारा 7(ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की थी। श्री तिवारी फेडरेशन की बैठकों में भाग लेने के लिये विभिन्न अवसरों पर बैठक फीस प्राप्त करते रहे है।

4. मामले में पेश किये गये अभिलेखों और कागजपत्रों के आधार पर तथा 6 सितम्बर, 1982 को पिटीशनर की सुनवाई के पश्चात् जबकि विरोधी पक्षकार उपस्थित नही था निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये थे:—

(1) क्या मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेड शन लिमिटेड, भोपाल को जो एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है, "राज्य" समझा जायेगा।

(2) क्या विरोधी पक्षकार, श्री राम गोपाल तिवारी, मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड का निदेशक बनने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(क) के अर्थान्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किये हुए हैं।

5. आयोग ने 2 अप्रैल, 1982 के पश्चात् पिटीशनर को भी और विरोधी पक्षकार को भी अपने दस्तावेज फाइल करने का निदेश देते हुए कई सूचनाएं जारी कीं। किन्तु विरोधी पक्षकार ने 19 मार्च, 1983 के पश्चात् तक जब आयोग ने अंतिम सुनवाई की थी, अर्जी के उत्तर में कोई लिखित कथन या शपथपत्र दाखिल नहीं किया। इस सुनवाई के पश्चात् भी विरोधी पक्षकार ने अतिरिक्त सुनवाई और मौखिक दलीलों के लिये कोई तारीख नियत करने की प्रार्थना की। 19 मार्च 1983 को की गई सुनवाई में, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग सुनवाई को स्थगित करने के पक्ष में नहीं है तथा पिटीशनर और विरोधी पक्षकार के काउंसेल अपनी दलीलें लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके आधार पर आयोग अपनी राय बनायेगा और अभिलिखित करेगा। अतिरिक्त सुनवाई की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

6. विवाद्यक सं० 1—पिटीशनर की दलील यह है कि उक्त फेडरेशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थान्तर्गत "राज्य" है और उच्चतम न्यायालय ने अजय हसिया बनाम खाली मुजीब सेहरावर्दी और अन्य ए०आई० आर० 1981 एस०सी० 487 में अपने निर्णय में विभिन्न अधिनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी सोसाइटियों को राज्य के रूप में वर्गीकृत किया है। संविधान के अनुच्छेद 12 के संबंध में विधिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, यह निर्णय, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन इस आधार पर कि वह उक्त फेडरेशन का निदेशक है, सदस्य की अभिकथित निर्हरता से संबंधित विवाद्यकों से सुसंगत नहीं है।

7. ऊपर निर्दिष्ट मामले में उच्चतम न्यायालय का संबंध, प्रादेशिक इंजीनियरी महाविद्यालय में, जिस पर केन्द्रीय और राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, प्रवेश के प्रश्न के प्रतिनिर्दिश से अनुच्छेद 12 में "राज्य" के अर्थ से था। प्रस्तुत मामले में इस प्रश्न के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त फेडरेशन में निदेशक का पद, संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है। अवधारित की जाने वाली विधिक बात यह है कि उक्त फेडरेशन के निदेशक का पद मध्य प्रदेश सरकार के अधीन है या नहीं। अतः "राज्य" की धारणा इस मामले में सुसंगत नहीं है। उक्त फेडरेशन एक कानून, अर्थात् मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 के उपबन्धों के अनुसार सूहित की गई है और उसी से शासित होती है तथा रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज भी जिसने श्री राम गोपाल तिवारी को

नियुक्त किया है, राज्य सरकार से नहीं वरन् अधिनियम से प्राधिकार प्राप्त करता है । उक्त फेडरेशन से संबंधित एक प्रत्यक्ष मामले में आर० एस० गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन (ए०आई०आर० 1976 मध्य प्रदेश 152) में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उक्त फेडरेशन अनुच्छेद 12 के के अर्थान्तर्गत प्राधिकारी नहीं है। इस मत के अनुसार उक्त फेडरेशन राज्य नहीं है चाहे राज्य की धारणा अनुच्छेद 102(1)(क) से उद्भूत भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ के पद से संबंधित किसी प्रश्न से सुसंगत नहीं है।

8. विवाद्यक सं० 2—उक्त फैडरेशन, उक्त अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है । इसमें शाश्वत उत्तराधिकार है और इसकी अपनी सामान्य मुद्रा है । यह अपेक्षित है कि सोसाइटी का कार्य उक्त अधिनियम और उक्त फेडरेशन की अनुमोदित उपविधियों के अनुसार किए जाएं । श्री राम गोपाल तिवारी को रजिस्ट्रार ने उक्त अधिनियम के अधीन उसे विशेष रूप से प्रदत्त शक्तियों के आधार पर नियुक्त किया था । इस अधिनियम के अनुसार सोसाइटी के कार्यकलाप में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । यह स्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (7ख) के उपबंधों में स्पष्ट की गई है, जिनमें कहा गया है कि नए निर्वाचन किए जाने और समिति द्वारा भार ग्रहण किए जाने तक रजिस्ट्रार, सोसाइटी के कामकाज के प्रबंध के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा । धारा 53 की उपधारा (4) में भी अधिकथित है कि नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रार के नियंत्रण तथा समय-समय पर उसके द्वारा दिए गए अनुदेशों के अधीन रहेगा । नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक रजिस्ट्रार नियत करेगा । पारिश्रमिक की रकम सोसाइटी की निधियों में से देय है । इन सभी बातों से यह प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत फैडरेशन में सरकारी अवयव का लक्षण नहीं है, बल्कि इसका पृथक अस्तित्व है ।

9. इस संदर्भ में, लोक सभा तथा मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के प्रश्न से संबंधित हाल ही के ऐसे ही मामलों (श्री सुभाष यादव, संसद् सदस्य और श्री प्रेम नारायण मिश्र, विधान सभा सदस्य तथा 7 अन्य विधान सभा सदस्यों की अभिकथित सिफारिश से संबंधित निर्देश मामला सं० 1 और 2) में, जो सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष/निदेशक नियुक्त किए गए थे, आयोग ने यह राय दी है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में धारण किया गया पद राज्य सरकार के अधीन पद नहीं है । निर्देश मामला सं० 1 और 2 में व्यक्त किए गए विचार, समान तथ्य होने के कारण इस मामले में भी लागू होंगे ।

10. उपर्युक्त कारणों से, यह नहीं कहा जा सकता कि श्री राम गोपाल तिवारी उक्त फैडरेशन में निदेशक का पद धारण करने के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए हैं । परिणामतः पिटीशनर द्वारा अपनी लिखित दलील में उद्धृत निर्णयज विधि पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें, इस दलील के विषय में कि रजिस्ट्रार सरकार का सेवक है, केवल स्वामी-सेवक के संबंध के प्रश्न के प्रति निर्देश किया गया है । यदि यह मान भी लें कि रजिस्ट्रार सरकार के नियंत्रणाधीन है और उसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भी रजिस्ट्रार के रूप में उसके कृत्य पूर्णतया मध्य प्रदेश कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1960 के उपबंधों से विनियमित होते हैं । रजिस्ट्रार कानून के अधीन कार्य करता है और वह राज्य का अंग नहीं है । इस मत का समर्थन सतीश कुमार बनाम पंजाब स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, चंडीगढ़ (ए० आई० आर० 1981 पंजाब और हरियाणा पृ० 282) द्वारा भी होता है ।

11. अपनी दलील के दौरान, पिटीशनर के काउंसेल ने कहा है कि श्री राम गोपाल तिवारी ने 250 रु० बैठक फीस प्राप्त की है । संबद्ध प्राधिकारियों से अभिप्राप्त अभिलेखों की परीक्षा करने पर यह पाया गया कि श्री राम गोपाल तिवारी ने, विभिन्न तारीखों को हुई 7 बैठकों के लिए कुल मिलाकर केवल 250 रु० बैठक फीस प्राप्त की है । इस प्रकार किसी भी दिन के लिए बैठक फीस के रूप में प्राप्त अधिकतम रकम 40 रु० थी, जो संसद् सदस्य के रूप में श्री तिवारी को दैनिक भत्ते के रूप में अनुज्ञेय 51 रु० प्रति दिन से कम है । यद्यपि यह पहलू सुसंगत नहीं है, तथापि स्थिति स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि श्री तिवारी ने किसी भी दिन के लिए बैठक फीस के रूप में 51 रु० से अधिक प्राप्त नहीं किए हैं । अतः श्री तिवारी द्वारा प्राप्त बैठक फीस को लाभ का जोत नहीं कहा जा सकता, जैसा कि पिटीशनर ने कहा है ।

12. उपर्युक्त मत के संदर्भ में, अर्जी में विरोधी पक्षकार के लोक सेवक होने, सदस्य की आय, आय-कर के प्रयोजनार्थ लेखादायी होने, उसके द्वारा अन्य परिलब्धियां होने, प्राप्त किए जाने, उसकी विदेश यात्रा, मध्य प्रदेश में भारती या राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर उसके स्वागत का आयोजन और उसे उपहारों का संदाय किए जाने के संबंध में दी गई दलीलें सुसंगत नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि श्री तिवारी, अर्जी में यथाअभिकथित लोक सेवक है ।

13. इस मामले का उपसंहार करने से पहले, मैं श्री राम गोपाल तिवारी तथा विधान सभा सदस्यों की एक बहुत बड़ी संख्या की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के अध्यक्ष या निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए उत्तरदायी कुछ घटनाओं का हवाला देना चाहता हूं । मामले के अभिलेखों का परिशीलन करने से, मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश सरकार के विधि सलाहकार ने सहकारी समितियों की तदर्थ प्रबंधक समितियों में गैरसरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति को निरुत्साहित किया था। निर्वाचित प्रतिनिधियों की खुशामद, यद्यपि इस मामलों में

अनुच्छेद 102(1)(क) और 191(1)(क) की सीमा से बाहर पड़ती है, तथापि विधानमंडल के प्रतिनिधियों के स्वतंत्र कार्यकरण के लिए एक सुरुचिपूर्ण रुख नहीं है । मध्य प्रदेश के बहुत से मामलों में, यह देखा गया है कि यद्यपि रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी समिति के अध्यक्ष और निदेशकों की नियुक्ति निर्वाचित निकायों के स्थान पर, इन निकायों के निर्वाचित होने तक अस्थायी उपाय के रूप में आशयित थी, तथापि वह 1977 से चलती रही । जहां निर्वाचित प्रतिनिधि विधानमंडल से बाहर विशेषाधिकारों और शक्तियों का उपभोग कर रहे हों वहां यह स्थिति चालू रखना नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं है और इससे वे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः राज्य सरकार के आभारी रहेंगे । अन्यथा भी, जहां कानून के अधीन निर्वाचित निकायों का उपबंध है वहां निम्नतम स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं के मजबूत बनाने के लिए यथाशीघ्र उनका गठन किया जाना चाहिए ।

14. उपर्युक्त कारणों से, मेरी यह राय है और तदनुसार मैं अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री राम गोपाल तिवारी, उक्त फैडरेशन के निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) या (ङ) के अधीन निरर्हित नहीं हुए हैं ।

तारीख : 19 अप्रैल, 1983

[एफ० 7(21)/83-वि० II]
आर० के० त्रिवेदी,
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
रू० वे० सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 1983

S.O. 411(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

Whereas a question has arisen before the President as a result of the petition dated the 5th March, 1982 presented to the President by one Shri Ram Chandra Shrimal, Chief Editor, 'Bregadier', Ujjain as to whether Shri Ram Gopal, Tiwari, a sitting member of the House of the People from the State of Madhya Pradesh has become subject to the disqualification under article 102(1) (a) and (e) of the Constitution on the ground that he is holding an office of profit under the Government of Madhya Pradesh by virtue of his appointment as Director of the Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Limited, Bhopal;

And whereas the President of India has sought the opinion of the Election Commission under article 103(2) of the Constitution, with reference to the said question;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Ram Gopal Tiwari has not become subject to the disqualification for being a Member of the House of the People under article 102(1) (a) or (e) of the Constitution by reason of his appointment as Director of the Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Limited, Bhopal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by article 103 of the Constitution, I, Zail Singh, President of India, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Ram Gopal Tiwari has not become subject to the disqualification mentioned in article 102(1)(a) or (e) of the Constitution for being a Member of the House of the People.

ZAIL SINGH
President of India

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi, India
28th May, 1983.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 4 of 1982

(Reference from the President of India under article 103(2) of the Constitution)

In re : Alleged disqualification of Shri Ram Gopal Tiwari, a sitting member of Lok Sabha.

OPINION

This is a reference from the President of India seeking the opinion of the Commission under article 103(2) of the Constitution on the question whether Shri Ram Gopal Tiwari, a sitting member of Lok Sabha from Madhya Pradesh, has become subject to the disqualification under article 102(1)(a) and (e) of the Constitution by virtue of his appointment as Director of the Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Limited, Bhopal in December 1980.

2. The above question has been raised by Shri Ram Chandra Shrimal, Chief Editor, 'Bragadier', Ujjain, in his petition dated 5th March, 1982 addressed to the President.

3. The brief facts are as follows:—

Shri Ram Gopal Tiwari was elected to the Lok Sabha from Janjgir Parliamentary Constituency

in the State of Madhya Pradesh during the general election held in January, 1980. He was appointed as a Director of the Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation (hereinafter referred to as the 'Federation') by the order of the Registrar of Cooperative Societies, Madhya Pradesh dated 30th December, 1980. This appointment was made in pursuance of the powers conferred on the Registrar under sub-section (7-B) of section 49 of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as 'the Act'). Shri Tiwari has been receiving sitting fee on various occasions for attending the meetings of the Federation.

4. On the basis of the records and papers produced in the case and after hearing the petitioner on the 6th September, 1982, when the opposite party was not present, the following two issues were framed :—

(1) Whether the Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation Limited, Bhopal, which is a registered society will be deemed to be a 'State'?

(2) Whether the opposite party, Shri Ram Gopal Tiwari, by becoming a Director of Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation Limited is holding an office of profit under the Government of Madhya Pradesh within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution?

5. The Commission issued several notices after April 2, 1982 both to the petitioner and the opposite party directing them to file their documents. But the opposite party did not file any written statement or affidavit in reply to the petition till after the 19th March 1983, when the Commission held the final hearing. Even after this hearing, the opposite party prayed for fixing a date for further hearing and oral arguments. At the hearing on the 19th March 1983, it was made clear that the Commission was not inclined to adjourn the hearing and the counsel for the petitioner and the opposite party might submit their arguments in writing on the basis of which the Commission would formulate and record its opinion. The prayer for further hearing was not accepted.

6. Issue No. 1. The contention of the petitioner is that the said Federation is a 'State' within the meaning of article 12 of the Constitution of India and the Supreme Court in its judgment in Ajya Hasia Vs. Khali Mujib Seharavardi & ors.- Air 1981-SC 487 has classified such Societies registered under various Acts as State. Whatever may be the legal position in regard to article 12 of the Constitution, this judgment is not relevant to the issues relating to the alleged disqualificaion of the member under 102(1)(a) of the Constitution on the ground that he is a Director of the said Federation.

7. In the case referred to above, the Supreme Court was concerned with the meaning of 'State' in Article 12 with reference to the question of admission in the Regional Engineering College over which the Central and the State Government had full control. For the purpose of determination of the question in the present case whether the office of Director in the said Federation is under the Government of Madhya Pradesh within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution, the relevant legal point for determination is whether the office of Director of the said Federation is under the Government of Madhya Pradesh or not. The concept of 'State' is not therefore relevant in the present case. The said Federation is created in accordance with, and governed by, the provisions of a statute, namely, the Madhya Pradesh State Cooperative Societies Act 1960 and the Registrar of Cooperative Societies who appointed Shri Ram Gopal Tiwari also derives his authority from the Act and not from the State Government. In a direct case dealing with the said Federation in R.S. Gupta Vs. Madhya Pradesh State Marketing Federation (A. I. R. 1976 MP 152), the Madhya Pradesh High Court has held that the said Federation is not an 'authority' within the meaning of article 12. In this view, the said Federation is not a State even though the concept of state is not relevant to any question arising out of article 102(1)(a) relating to the offices of profit under the Government of India or the Government of any State.

8. Issue No. 2 The said Federation is a registered society under the said Act with perpetual succession and a common seal of its own. The affairs of the society are required to be carried on in accordance with the said Act and the approved byelaws of the said Federation. Shri Ram Gopal Tiwari was appointed by the Registrar by virtue of his powers specifically conferred on him under the said Act. Under this Act, the Government has no direct role to play over the affairs of the Society. This position is explicit in the provisions of sub-section (7B) of section 49 of the said Act which states that the Registrar shall appoint a person to manage the affairs of the society till the new elections are held and the committee takes charge. Sub-section (4) of section 53 also lays down that the person appointed shall be subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may give from time to time. The Registrar is to fix the remuneration payable to the person or persons appointed. The amount of remuneration is payable from out of the funds of the Society. All these factors go to show that the Federation in question has no trappings of a Government organ but is a separate entity.

9. In this context, the Commission in similar recent cases dealing with the question of members of Lok Sabha and of Legislative Assembly of Madhya Pradesh (reference cases Nos. 1 and 2 of 1982 regarding alleged disqualification of Shri Subhash Yadav M.P. and Shri Prem Narain Mishra, MLA and 7 other MLAs) who were appointed as Chairman|Directors of a Cooperative Society has given the opinion that an office held in a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act is not an office under the State Government. The observations in Reference Cases Nos. 1 and 2 of 1982 (Supra) are in pari materia in the present case also.

10. For the reasons stated above, Shri Ram Gopal Tiwari can not be said to be holding an office of profit under the Government of Madhya Pradesh within the meaning of article 102(1)(a) of the Constitution by virtue of his holding the position of a Director of the said Federation. Consequently, it is not necessary to deal with the case law cited by the petitioner in his written argument which only refers to the question of master and servant relationship, for the contention that the Registrar is a servant of the Government. Even assuming that the Registrar is subject to the control of the Government and is appointed by the Government, his functions as Registrar are fully regulated by the provisions of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960. The Registrar acts under the statute and is not an organ of the State. This view is supported by the decision in Satish Kumar Vs. Punjab State Cooperative Bank Ltd., Chandigarh (AIR 1981 Punjab and Haryana p. 282).

11. In the course of his argument, the petitioner's counsel has stated that Shri Ram Gopal Tiwari has drawn a sitting fee of Rs. 250. On examination of the documents obtained from the concerned authorities, it is seen that Shri Ram Gopal Tiwari has drawn in all only Rs. 250|- as sitting fee for 7 meetings held on different dates. The maximum amount as sitting fee for any day so drawn was Rs. 40|- which is less than Rs. 51|- per day as admissible to Shri Tiwari by way of daily allowance as a Member of Parliament. Though this aspect is not relevant, it may be stated here to make the position clear that Shri Tiwari has not drawn more than Rs. 51|- as sitting fee for any day. The sitting fee drawn by Shri Tiwari cannot, therefore, be treated as source of profit as alleged by the petitioner.

12. In the context of the above view, the contentions raised in the petition regarding the opposite party being a public servant, income of the member becoming accountable for income tax purposes, other perquisites being received by him, his foreign visit, reception arranged and gifts paid on his becoming President of Indian National Congress in Madhya Pradesh, are not relevant.

Shri Tiwari cannot be said to be a public servant, as alleged in the petition.

13. Before leaving this case, I would like to refer to certain developments leading to the appointment of Shri Ram Gopal Tiwari and a very large number of members of the Legislative Assembly as Chairman or Directors of various cooperative societies. From the records of the case persued by me, I find that the Legal Adviser to Madhya Pradesh Government had discouraged the appointment of non-officials to the ad hoc managing committees of the cooperative societies. The offer of blandishments to elected representatives, though falling outside the ambit of articles 102 (1)(a) and 191(1)(a) in these cases, is not a healthy trend for the independent functioning of those representatives in the Legislature. In a number of cases from Madhya Pradesh, it is seen that though the appointment of Chairman & Directors of Cooperative Society by the Registrar was only intended to be a temporary measure in the place of elected bodies till the election was conducted to such bodies, it was continuing from 1977. It would not be morally justifiable to continue this state of affairs where the elected representatives enjoy outside the Legislature privileges and powers and thus may be directly or indirectly prone to place themselves under obligation to the State Government. Even otherwise, elected bodies where provided under the statute should be constituted as early as possible to strengthen democratic processes at the grass roots.

14. For the reasons stated above, I am of the opinion and accordingly hold that Shri Ram Gopal Tiwari has not become subject to disqualification under article 102(1)(a) or (e) of the Constitution by reason of his appointment as Director of the said Federation.

New Delhi,
April 19, 1983.

R. K. TRIVEDI
Chief Election Commissioner of India

[F. No. 7(21)|83-Lag.II.]
R. V. S. PERI SASTRI, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983